वार्षिक प्रतिवेदन





सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104, भारत नैगम कार्यालय: गांधी नगर, बेंगलूर - 560 009, भारत

Head Office: Manipal - 576 104, India

Corporate Office: Gandhinagar, Bangalore – 560 009, India. INTERNET ADDRESS http://www.syndicatebank.com

vices - www.sansco.net

प्रधान कार्यालय: मणिपाल -576 104 Head Office: Manipal - 576 104

विषय - सूची CONTENTS वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2003 - 2004

	y∞ rage	पृष्ठ ।	Page
अध्यक्षका वक्तव्य Chairman's Statement	3	 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 	
● सूचना Notice	6	Significant Accounting Policies	55
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	11	• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	
🔍 नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट		Notes on Accounts	59
Report on Corporate Governance	28	नकदी उपलब्धता विवरण Cash Flow Statement	65
• लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	44	• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	67
• तुलन-पत्र Balance Sheet	46	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	
● लाभ-हानि लेखा Р&L Account	47	•	71
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Account	s 48	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	73

निदेशक मंडल **BOARD OF DIRECTORS** माइकल बास्टियन Michael Bastian अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director कमलाकर एम. शेट Kamalakar M. Shet कार्यपालक निदेशक Executive Director पी. जे. विन्सेन्ट P. J. Vincent चित्रा चन्द्रमौलीश्वरन Chitra Chandramouliswaran विनोद गोयल Vinod Goel प्रो. सुदर्शन कुमार खन्ना Prof. Sudershan Kumar Khanna भूपिन्दर सिंह सूरी Bhupinder Singh Suri रंजना एस. सलगाँवकर Ranjana S. Salgaocar अनिल कुमार खन्ना Anil Kumar Khanna पी. सी. नायक P. C. Nayak के. पी. फेबियन K. P. Fabian के. एस. शेट्टी K. S. Shetty जय प्रकाश शर्मा Jai Perkash Sharma निदेशक **Directors Auditors**

लेखा-परीक्षक
मेसर्स शंकरन एंड कृष्णन
मेसर्स बी. गुप्ता एंड कंपनी
मेसर्स तेज राज एंड पाल
मेसर्स श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
मेसर्स जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन

M/s Sankaran & Krishnan M/s B. Gupta & Co. M/s Tej Raj & Pal M/s Sriramamurthy & Co. M/s Jagannathan & Sarabeswaran मेसर्स वी. के. मेहता एंड कंपनी M/s V. K. Mehta & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड यूनिट: सिंडिकेटबैंक 46, एवेन्यू 4, स्ट्रीट नं. 1 बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034 दूरभाष: 040-233 26 591, 233 20 751-53

फैक्स : 040-233 11 968 2

Registrars & Share Transfer Agents M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. Unit: SyndicateBank 46, Avenue 4, Street No. 1 Banjara Hills, Hyderabad – 500 034 Tel.: 040-233 26 591, 233 20 751-53

Fax: 040-233 11 968

अध्यक्ष का वक्तव्य

मुझे, आपके समक्ष आपके बैंक की 31 मार्च 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष के निष्पादन की खास उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रभावशाली वृद्धि हासिल की है। बैंक का सार्वभौमिक कारोबार रु. 64290 करोड़ तक पहुँच गया है जिसमें जमाराशियाँ 42585 करोड़ और अग्रिम रु. 21705 करोड़ है। बैंक ने बाजार की वृद्धि दर को पछाड़ते हुए जमा के क्षेत्र में 38.88% और अग्रिमों की वृद्धि के क्षेत्र में 27.48% की वृद्धि हासिल की है जबिक बाजार की प्राक्कलित वृद्धि दर जमा के मामले में 17.3% और अग्रिमों के मामले में 17.6% है।

बैंक ने लाभ की वृद्धि के क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखी है, इस वर्ष परिचालन लाभ 1054.25 करोड़ का हुआ है जबकि पिछले वर्ष यह 618.79 करोड़ था। शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 344.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान बढ़कर रु.434.13 करोड़ हो गया है।

इस वर्ष के दौरान ऋण के क्षेत्र में वृद्धि पर अच्छा प्रभाव खुदरा ऋणों ने डाला है और अग्रिमों का 30.59% हिस्सा खुदरा ऋणों का है। बैंक की खुदरा आस्तियों की वृद्धि में आवास क्षेत्र को दिया गया ऋण एक महत्त्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2002-2003 के 469.17 करोड़ की तुलना में, इस वर्ष इस क्षेत्र को रु.995.41 करोड़ का संवितरण किया गया है।

बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्तियाँ पिछले वर्ष मार्च 2003 <mark>को 4.29%</mark> की तुलना में मार्च 2004 को 2.58% हो गई हैं ।

रु.106.49 करोड़ लाभांश प्रदान करने के बाद बैंक की निवल संपत्ति रु.1703 करोड़ है जिसमें 23.76% की वृद्धि हुई है । 31.03.2004 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.49% है । वर्ष 2002-2003 के दौरान निवल संपत्ति पर प्रतिलाभ 35.47% था उसकी तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान यह बढ़कर 45.53% हो गया है । प्रति शेयर अर्जन 31.03.2004 को रु.9.20 है जो 31.03.2003 को प्रति शेयर अर्जन रु.7.29 से अधिक है ।

लागत/आय अनुपात को मार्च 2003 के 81.63% से कम करके मार्च 2004 को 72.70% तक ला दिया गया है । 8.93% की कमी महत्त्वपूर्ण है ।

प्रति कर्मचारी कारोबार जिससे उत्पादकता को आका जाता है वह 31.03.2003 के प्रति कर्मचारी रु.179.95 लाख से बढ़कर मार्च 2004 को रु.240.34 लाख हो गया है। प्रति कर्मचारी लाभ में रु.1.62 लाख की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

बैंक के बारे में बाजार की सकारात्मक अवधारणा बैंक की बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित होती है, इसमें 31.03.2003 के रु. 790.49 की तुलना में 135% की जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जो 31.03.2004 को रु. 1857 करोड़ हो गई है। लाभ अर्जन अनुपात 31.03.2003 की 2.33 से बढ़कर 31.03.2004 को 4.28 हो गया है।

CHAIRMAN'S STATEMENT

I have great pleasure in placing before you the highlights of the performance of your Bank for the financial year ended 31st March 2004.

I am happy to inform you that your Bank has shown impressive growth during the year 2003-2004. Bank's global business has reached the level of Rs. 64290 crore with Deposits making up Rs. 42585 crore and Advances Rs. 21705 crore. The bank has outperformed the market by registering a growth of 38.88% in deposits and 27.48% in advances against an estimated market growth of 17.3% and 17.6% in deposits and advances respectively.

Bank has also maintained consistent growth in profits, posting an operating profit of Rs. 1054.25 crore this year compared to previous year's Rs. 618.79 crore. Net profit has increased to Rs. 434.13 crore for the year 2003-2004, in comparison to previous year's Rs. 344.13 crore.

Credit growth during this year was retail driven with retail credit constituting 30.59% of the advances. Credit to the Housing Sector was a key component in the growth of the Bank's retail assets, accounting Rs. 995.41 crore disbursements during this year, as against Rs. 469.17 crore during the year 2002-03.

Bank has reduced net NPA to 2.58% as on March 2004 from 4.29% as on March 2003.

The Networth of the bank stands at Rs.1703 crores has increased by 23.76 % after providing for dividend pay out of Rs. 106.49 crore. The Capital Adequacy ratio is at a comfortable level of 11.49% as on 31.03.2004. The Return on Networth stands increased to 45.53% as compared to 35.47% in 2002-03. The Earnings Per Share @ Rs. 9.20 as on 31.03.2004 is higher than the EPS of Rs. 7.29 as on 31.03.2003.

Cost / Income ratio is brought down to 72.70% as on March 2004 from 81.63% as on March 03. This is a significant reduction of 8.93%.

Business per employee, which is a measure of productivity, has increased to Rs. 240.34 lakhs as on March 04 from Rs.179.95 lakh per employee as at 31.03.2003. The profit per employee at Rs. 1.62 lakh has improved significantly.

The positive market perception about the Bank is reflected in the Bank's Market Capitalisation rising substantially by 135% from Rs.790.49 crore as at 31.03.2003 to Rs.1857 crore as at 31.03.2004. P/E ratio has increased to 4.28 as on 31.03.2004 from 2.33 as on 31.03.2003.

वर्ष 2004-2005 के कारोबार आयोजना सम्मेलन का मूल विषय था ''सुसंगति, प्रतिबद्धता एवं विश्वसनीयता''। विकास की स्थिति का निर्धारण उत्पादों के वितरण में सुसंगति, काम के प्रति प्रतिबद्धता एवं कार्यकलापों की विश्वसनीयता से होगा। इस वर्ष के विकास के पैटर्न को यह ध्यान में रखकर नियत किया गया है कि अगले दो वर्षों में बैंक देश के सबसे बड़े बैंकों के समूह में शामिल हो जाए। गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही दृष्टियों से परिसंपत्तियों के आधार में वृद्धि पर सबसे ज्यादा जोर देना है। बैंक उस रणनीति को अपनाने में लगा हुआ है जिसमें लाभ का समझौता किए बगैर बाजार के हिस्से में उसकी भागीदारी बढ़े।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यव्यवहारों को अपनाने की दृष्टि से बैंक ने एक नया जोखिम प्रबंधन कौशल निरूपित किया है, जो ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम को संभालेगा । साथ ही साथ, बैंक की एक व्यापक जोखिम प्रोफाइल भी बनाई गई है ताकि कारोबार और नियंत्रण जोखिम का सामना किया जा सके । एक बोर्ड स्तरीय उप समिति जोखिम प्रोफाइल और विभिन्न जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी । जिस आस्ति-देयता पद्धित को अपनाया गया है उसके अंतर्गत बैंक के कारोबार का लगभग शत-प्रतिशत हिस्सा प्रभावी रूप से आ जाता है ।

बैंक ने अपनी जमा और ऋण उत्पादों के दायरे को इतना सुविस्तृत किया है कि वह ग्राहकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। इनमें से, जमाराशियों के लिए अस्थायी दर, ग्लोबल डेबिट कार्ड, ग्लोबल क्रेडिट कार्ड तथा क्रेचों को वित्त प्रदान करने के लिए अलग से योजना शामिल है। सिंड किसान योजना जो कृषकों को व्यक्तिगत वित्तीय सुविधा प्रदान करती है और सिंड उद्योग जैसी योजनाओं को सरलीकृत किया गया है ताकि छोटे और मध्यम दर्जे के उपक्रमों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक ने एलायंज बजाज के साथ इस बात के लिए करार किया है कि वह उनकी कंपनी के जीवन बीमा उत्पादों का वितरण करेगा । इससे हमारी शुल्क आय में बढ़ोत्तरी होगी ।

नि:शुल्क ध्वनि मेल सेवा की शुरुआत की गई है ताकि इसके माध्यम से ग्राहकों द्वारा हमारे उत्पादों के बारे में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जा सके और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके।

हमारे ग्राहकों को दी जाने वाली महत्त्वपूर्ण सुविधा के रूप में ई बिल अदायगी पद्धति की भी शुरुआत की गई है ।

आज हमारा बैंक प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत धरातल पर खड़ा है जो ए.टी.एम. के बहुविध सुपुर्दगी चैनल, इन्टरनेट बैंकिंग तथा टेली बैंकिंग को सहयोग प्रदान कर रहा है । प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) एक महत्त्वपूर्ण कदम है और हमारी 150 शाखाएं केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान से जुड़ गई हैं । नकदी वृक्ष (कैश ट्री) व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 5 बैंकों के साथ उनके ए.टी.एम. नेटवर्क के साथ सहभागिता करने हेतु करार किया है। ऑनलाइन टैक्स एकांउटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) की शुरुआत 290 शाखाओं में की गई है।

The theme of the Business Plan 2004-2005 conference was "consistency, commitment and credibility". Orientation of growth will be to be consistent in delivery of products, commitment to the work and credibility of the actions. The growth pattern envisaged during the year is to place the Bank in the league of the tallest Banks in the country in the next two years. The thrust will be to increase the asset base in terms of quality and quantity. Bank will pursue a strategy of gaining market share without compromising on profits.

In its endeavour to adopt the best practices in risk management, the bank has built new risk management architecture to address credit, market and operational risk. Simultaneously, a comprehensive risk profile of the bank has been prepared to capture business and control risks. A Board level sub-committee oversees the risk profile and implementation of various risk management and control policies and procedures. The Asset Liability system that has been put in place, effectively covers nearly 100 percent of Bank's business.

The Bank has expanded its range of deposit and loan products to suit the requirements and expectations of different segments of customers. Among these are Floating Rate Deposits, Global Debit Cards, Global Credit Cards, exclusive scheme for financing crèches, SyndKisan scheme offering personal finance to agriculturists and SyndUdyog which simplifies and facilitate flow of credit to qualifying Small and Medium Enterprises.

During the year under review the Bank has also entered into an agreement with Allianz Bajaj for distributing life insurance products of the company. This will augment our fee income.

A Toll Free Voice Mail service is in place to elicit customer responses to our product offerings and services and to redress their grievances.

E bill payment system is also in place, as a value addition to our customers.

Today the bank has a robust technology platform which supports multiple delivery channels of ATMs, Internet Banking and Tele Banking. The Centralised Banking Solution (CBS), a major technology initiative, is in place with 150 branches under CBS dispensation. Bank has also entered into an agreement with 5 other Public Sector Banks for sharing their network of ATMs under CashTree arrangement. Launched OLTAS (Online Tax Accounting System) in 290 branches.

प्रबंधन एवं कर्मचारियों की सामान्य दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पद्धित को नवीकृत करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। कल की चुनौतियों और वर्तमान में बाजार की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर बैंक के लिए आवश्यक कौशल का जो जरूरत आधारित विश्लेषण किया गया है उसकी स्टाफ सदस्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। कार्पोरेट को जिस कौशल की आवश्यकता है, उसका प्रशिक्षण जरूरतों के साथ जोड़ बिठाया गया है और उसकी पहचान हरेक स्टाफ सदस्य ने की है। पूँजी और प्रौद्योगिकी को तो दुबारा लाया जा सकता है पर मानव संसाधन को नहीं। इसीलिए, बैंक ने कर्मचारियों के प्रतिस्पर्धात्मक स्तर में सुधार हेतु कदम उठाए हैं और सही व्यक्ति को सही जगह पर बिठाने की नीति बनाई है।

बैंक की कल की जरूरतों को ध्यान में रखकर संगठनात्मक ढाँचे में सुधार किया गया है । बैंक ने अब तीन टियर संरचना की ओर प्रयाण किया है जिसमें शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय और नैगम कार्यालय होंगे, इससे कार्य संपन्न होने में शीघ्रता होगी, निर्णय जल्दी लिए जाएंगे जो ग्राहकों के लिए लाभदायी होंगे और इससे परिचालन लागत में भी कमी आएगी ।

बैंक की पहुँच का दायरा विस्तृत हो और बाजार में उसकी पैठ गहरी हो, इसके आलोक में दक्षिण अफ्रीका, दुबई और सिंगापुर में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोलने हेतु बोर्ड की अनुमित प्राप्त कर ली गई है । आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त किए जाने हैं ।

बैंक अपने पूंजी संसाधनों में वृद्धि हेतु पूंजी बाजार में पैठ ब<mark>ढ़ाने जा र</mark>हा है ताकि कारोबार आयोजना के लक्ष्यों को हासिल किया जा सक<mark>े औ</mark>र पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूती प्रदान की जा सके ।

वित्तीय क्षेत्र में जो नई चुनौतियाँ आनेवाली हैं उनका सामना करने के लिए बैंक संसाधन एवं नेतृत्व दोनों ही दृष्टियों से पूरी तरह तैयार है ।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का उद्देश्य ग्राहक आधार को 25% बढ़ाकर, अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करके तथा जिस प्रौद्योगिकी की मजबूत बुनियाद पर आज वह खड़ा है उसका पूरा उपयोग करके रु.85,000 करोड़ के सार्वभौमिक कारोबार के लक्ष्य को पाना है । बैंक अपने इस विज़न के लिए प्रतिबद्ध है कि यह एक ऐसा बैंक बने जिसमें अनुशासित लोग हों, अनुशासित विचार हों और उनका कार्यकलाप अनुशासित हो ।

मैं इस अवसर पर आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका बैंक प्रगति एवं वैभव के उचित मार्ग पर अग्रसर है।

महरूक वार्यक्रिया

स्थान : मणिपाल दिनांक : 15 मई, 2004 (माइकल बास्टियन) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक The initiatives that we have taken in revamping the training systems are in the common interests of the management and work force. The need based analysis of skills requirements for the Bank to meet the challenges of the future and present competition in the market is well received with positive responses from the staff. The skills required for the corporate are matched with the training needs identified by the individual staff. Capital and technology can be replicated, but not human resources. Accordingly the Bank has taken steps to improve the competency level of the staff and to place right people in the right place.

Organizational structure is revamped to meet the futuristic requirements of the Bank. The bank is moving on to a three tier structure of Branch, Regional Office, and Corporate Office for quick response time, fast decision making to benefit the customers and to reduce operations cost.

Bank, with a view to widen and deepen its market reach, intends to open representative offices in South Africa, Dubai and Singapore for which Board approvals have been obtained. Necessary regulatory approvals are sought.

The Bank intends to tap the capital market to augment its capital resources to meet the business plan targets and to strengthen the Capital Adequacy Ratio.

The Bank is also well placed in terms of resources and leadership to meet the challenges in the emerging new landscape in the financial sector.

The Bank is aiming to achieve a global business of Rs. 85,000 Crore during the current year by expanding its customer base by 25%, leveraging the geographical reach and the robust technology platform that is in place. The Bank is committed to its vision to rebuild the Bank on the premise of disciplined people, disciplined thought and disciplined action.

I take this opportunity to assure you, that your bank is in the right path of progress and prosperity.

Place: Manipal Date: 15 May, 2004 (MICHAEL BASTIAN) Chairman & Managing Director

5



प्रधान कार्यालय: मणिपाल -576 104 Head Office: Manipal - 576 104

सूचना

सूचनी दी जाती है कि सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की पाँचवी वार्षिक आम बैठक सोमवार, 14 जून, 2004को प्रात: 10.00 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल 🗕 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

- ''31.3.2004 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के सबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए.''
- ्विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो आशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए ।

''संकल्प किया जाता है कि, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार तथा सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) भारत सरकार, भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/या अन्य कोई प्राधिकारी जैसा भी चाहे अनुमोदनों, सहमितयों, मंजूरियों के अधीन पारित किया जाता है तथा यह ऐसी शर्तों, नियमों तथा संशोधनों के अधीन होगा जो अनुमोदन प्रदान करते समय उनके द्वारा निर्धारित किए जाएं तथा जिनमें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहपति प्रदान की जाए जो कि उन विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन होगा जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा समय-समय पर .सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाएं । यह उन सूचीकरण करारों के भी अधीन है जो उन स्टॉक विनिमयों में किए गए हैं जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात 'बोर्ड' से तार्ल्पर्य ऐसी समिति से होगा जिसका गठन बोर्ड करता है या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाद में गठित करता है जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियां सम्मिलित हैं) को बैंक के शेयरधारकों द्वारा एतद्द्वारा सहमित दी जाए/दी जाती है कि रु.10/- मूल्य के 5,00,00,000 करोड़ से अनिधक ईक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु.50,00,00,000 (रुपए पचास करोड़) से अधिक न हो का निर्गम/आबंटन, व्यक्तियों/कंपनियों/एफआईआई/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/ मान्यता प्राप्त खरीददार संस्थान, कर्मचारियों/कर्मचारी न्यास(सों) तथा निवेशकों चाहे वे भारत के निवासी हैं या नहीं तथा बैंक के शेयरधारक हों या नहीं या उक्त में से कोई एक या उपर्युक्त उल्लिखितों के समूह या जैसा बैंक उचित समझे ।

आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम के रूप में हो तथा ऐसा निर्गम तथा आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970 के उपबंधों के अनुसार, सेबी द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों जो वर्तमान में लागू हों, तथा ऐसे समय या समयों पर ऐसे मुल्यों पर (प्रीमियम सहित) तथा ऐसे तरीके से या ऐसे नियमों एवं शर्तों के अधीन हों. जिसे बोर्ड अपने अनन्य विवेकानसार उचित समझे ।

आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी कि वह प्रस्ताव में किए गए संशोधनों को स्वीकार करे या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी या अन्य ऐसा कोई उचित प्राधिकारी अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करने/देने में किसी भी प्रकार की शर्ते लगाए तो उन्हें स्वीकार करेगा ।

आगे संकल्प किया गया कि एन.आर.आई., एफ.आई.आई. को नए ईक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है।

आगे संकल्प किया गया कि निर्गम किए जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के अधीन होगा और वह सभी मामले में, बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होगा और वे घोषित किए जानेवाले लाभांश यदि कोई हो, के लिए पात्र होगा, जो ऐसी घोषणा के समय प्रवत्त सांविधिक दिशानिदेशों के अनुसार होगा ।

आगे संकल्प किया गया कि इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को एतदूद्वारा प्राधिकृत किया जाए और प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय समझें और उक्त ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाली किसी भी आपत्ति, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो सभी प्रलेखों और लेखनों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित हों, जो आगे, शेयरधारकों की अनुमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना उचित या वांछनीय समझते हों या इस प्रयोजन और उद्देश्य से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारक इस पर अपना अनुमोदन, अभिव्यक्त रूप से इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा दिया गया समझेंगे।"

आगे संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, विषय और काम कर सकते हैं और सभी आपत्तियों और कठिनाइयों का शमन किसी अनुमति या अनुमोदन के बिना कर सकते हैं जो वे अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित समझें ।

आगे संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।"

(माडकल बास्टियन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल दिनांक : 15-05-2004



प्रधान कार्योर्लय: मंणिपाल -576 104 Head Office: Manipal - 576 104

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Fifth Annual General Meeting of the shareholder members of SyndicateBank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 on Monday, the 14th June, 2004 at 10.00 a.m. to transact the following business:

- "To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2004, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2004, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts".
- 2. To consider and if thought fit to pass with or without modification the following resolution.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Syndicate Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the Regulations / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to issue and allot such number of equity shares of Rs.10/- each and in any case not exceeding 5,00,00,000 (Five Crores) and aggregating to not more than Rs.50,00,00,000/- (Rupees Fifty Crores only) to persons like Individuals, Companies, FIIs, Financial Institutions, Banks, Qualified Institutional Buyers, Employees, Employees' Trust(s) or other investors, or not and whether or not shareholders of the Bank or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be through by way of Public issue and that such offer, issue and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, SEBI Guidelines in force, and at such time or times at such price (including premium) and in such manner and on such terms and conditions as the Board may in its absolute discretion think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares if any, to NRIs, Fils, be subject to the approval of Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Syndicate Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things and to settle all questions and difficulties as it may, in its absolute discretion deem fit, without being required to seek any further consent or approval.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the power's herein conferred to the Chairman and Manager Director or Executive Director of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."

Place: Manipal Date: 15-05-2004 (Michael Bastian)
Chairman & Managing Director



प्रधान कार्यालय: मणिपाल -576 104 Head Office: Manipal - 576 104

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् ९ जून, 2004 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले प्रॉक्सी फार्म में विनिर्दिष्ट स्थान पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, सहा. महा प्रबंधक, अ.प्र.नि. का सचिवालय को वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् ९ जून, 2004 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं करता/करती है।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र:

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारक सदस्यों/प्राक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर 'प्रॉक्सी' अथवा ''प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

4. बही बंदी:

पाँचर्वी वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और बैंक द्वारा 31 –3- 2004 को घोषित लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र शेयरधारक सदस्यों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 21 मई 2004 को बंद रखी जायेगी।

5. **लाभांश**:

बैंक ने अंतरिम लाभांश 10% के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदनाधीन वर्ष 2003 – 2004 के लिए 10% अंतिम लाभांश की घोषणा की है और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदनाधीन यह भी निर्णय लिया है कि एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर में 20 मई 2004 को जिन सदस्यों को/हिताधिकारी स्वामियों के नाम हों, उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

6. लाभांश हेतु बैंक अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई सी एस):

 क) लाभांश वारंटों की कपटपूर्ण भुनाई से निवेशकर्ताओं को बचाने की दृष्टि से सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की जाए

NOTES

APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF. The proxy, in order to be effective, must be received by the Bank at the place specified in the proxy form, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 09th June, 2004.

2. APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 09th June, 2004.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the Shareholder members, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholder members/ Proxy holders/ Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Representative of a shareholder should state on the attendance Slip-Cum-Entry pass as 'Proxy' or 'Representative' as the case may be.

4. BOOK CLOSURE:

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed on 21st May 2004 for the purpose of determining shareholder members eligible to receive the Dividend declared by the Bank for the year ended 31.03.2004.

5. DIVIDEND:

The Bank has declared a Final dividend of 10% subject to Reserve Bank of India approval in addition to the interim dividend of 10%, for the year 2003-04 and also it has been decided to pay the final dividend subject to Reserve Bank of India approval to the shareholder members whose names appear on the Register of Members/beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on 20th May, 2004.

BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS):

a) In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the members are

वे अपनी बैंक खाता संख्या (चालू/ बचत), बैंक का नाम और उस शाखा का नाम प्रस्तुत करें जहाँ वे लाभांश वारंटों को भुनाई हेतु जमा करना चाहते हैं।

लाभांश वारंट के चेक हिस्से में शेयरधारक के नाम के साथ ये विवरण मुद्रित किए जाएंगे ताकि इन वारंटों को शेयर धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न भुनाया जा सके।

उपर्युक्त विवरण प्रथम/ एकमात्र धारक द्वारा फोलियो संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारिता संबंधी ब्यौरे आदि बताते हुए सीधे हैदराबाद स्थित शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ख) बैंक, निर्दिष्ट शहरों में रहनेवाले शेयरधारकों को ई.सी.एस. की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस ई.सी.एस. सुविधा के बारे में विस्तृत सूचना संलग्न है। लाभांशों को जमा करवाने के लिए, जब कभी वे बैंक द्वारा घोषित किए जाएं, शेयरधारक बैंक अधिदेश प्रणाली के बदले में इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डिमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार:

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गतकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है। बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रिजस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेन्ट को भेजे जाएं।

8. फोलियों का समेकन :

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयरधारण के ब्यौरे शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयर पूंजियों को एक ही पूंजी के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

9. तुलन पत्र की प्रतियां:

शेयर धारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएगी अतएव सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां साथ ले आएं जो उनके पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा उनको डाक से भेजी गयी हैं।

10. शेयर अंतरण अभिकर्ताओं से पत्राचार:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें: मेसर्स कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट: सिंडिकेटबैंक 46. एवेन्यू 4, स्ट्रीट नं. 1 बंजारा हिल्स, हैदराबाद – 500 034 requested to furnish their Bank Account Number (Current/ Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever Dividend is declared by the Bank. These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholder, so that these warrants cannot be encashed by anyone other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/ sole holder, directly to the Share Transfer Agents at Hyderabad, quoting the folio number, number of shares held, details of the holdings etc.

b) The Bank is offering the facility of ECS for share holders residing in specified cities. The detailed information letter about these ECS facilities is annexed.

This facility could also be used by the share holders instead of Bank Mandate System for receiving the credit of dividends, whenever declared by the Bank.

COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM:

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS: .

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

9. COPIES OF BALANCE SHEET:

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses.

10. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. Karvy Computershare Private Limited UNIT: SYNDICATE BANK 46, Avenue 4, Street No.1 Banjara Hills, HYDERABAD – 500 034

11. अन्य सचना :

शेयर धारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/ कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

12. निवेशक संपर्क केन्द्र:

शेयर धारकों को शीघ्र और दक्षता पूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेट बैंक ने अपने नैगम कार्यालय बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयर धारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

महा प्रबंधक

निवेशक संपर्क केन्द्र, सिंडिकेटबैंक, नैगम कार्यालय, गाधीनगर, बेंगलर - 560 009,

दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22266495

व्याख्यात्मक कथन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों और शेयर बाजार, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीकरण करार के अनुसरण में और बैंक के लिए संसाधनों के संवर्धन हेतु और साथ ही बैंक को, उसकी पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने में समर्थवान बनाने की दृष्टि से बैंक के निदेशक मंडल ने रु.5,00,00,000 (रुपए पांच करोड़) से अनिधक के ईक्विटी शेयरों के निर्गमन, प्रस्थापना (ऑफर) और आबंटन द्वारा बैंक के प्रदत्त शेयर पूंजी को बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसका हर ईक्विटी शेयर रु.10/- का होगा और यह रु.50,00,00,000 (रुपए पचास करोड़) से अनिधक की कुल राशि के लिए जारी किया जाएगा और साथ में व्यक्तियों/कंपनियों/विदेशी संस्थागत निवेशकों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं/कर्मचारियों/कर्मचारियों का न्यास (न्यासों) या अन्य निवेशकों भले ही वे भारत के निवासी हों या नहीं या बैंक के शेयरधारक हैं या नहीं, उनको उचित प्रीमियम पर दिया जाएगा।

पूर्वोक्त निर्गम के जारी होने के परिणाम स्वरूप बैंक की प्रदत्त पूंजी रु.521.97 करोड़ तक बढ़ जाएगी और तदनुसार निर्गम पश्चात् केन्द्र सरकार की शेयर पूंजी/धारित राशि और घटकर 66.47% तक हो जाएगी ।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) की शर्तों के अनुसार बैंक, उचित प्रीमियम पर प्रदत्त पूंजी को रु. 50 करोड़ बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के निदेशों के अनुसार इस प्रस्ताव के अंतर्गत जारी किए जाने वाले नए शेयर, सभी दृष्टि से बैंक के मौजूदा शेयरों के समतुल्य होंगे जिसमें सार्वजनिक निर्गम से होने वाले लाभांश भी, यदि कुछ हैं, शामिल होंगे, जो ईक्विटी शेयर के आबंटन के बाद बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे।

उपर्युक्त सूचना की मद संख्या 2 के अधीन निर्दिष्ट संकल्प का आशय, बैंक के ईक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के संबंध में, शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना है ।

किसी भी निदेशक को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा से अधिक उक्त संकल्प में कोई दिलचस्पी नहीं है ।

महरूद्ध वर्गस्ट्रिय

स्थान : मणिपाल दिनांक: 15-5-2004 (माइकल बास्टियन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

11. OTHER INFORMATION:

Shareholders may kindly note that no gift/ coupon will be distributed at the meeting.

12. INVESTOR RELATIONS CENTRE

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, SyndicateBank has set up an Investors Relation Centre at its Corporate Office, Bangalore. Shareholders and investors may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance.

The General Manager Investors Relation Centre Syndicate Bank - Corporate Office Gandhinagar, BANGALORE - 560 009 Tel 080 -22283030, Fax - 080 -22266495 Email: inrc@syndicatebank.net

Explanatory Statement

Pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India in this regard, and Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and with a view to augment resources for the Bank and also to enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Ratio, the Board of Directors of the Bank have decided to increase the paid up share capital of the Bank by issue, offer and allotment, such number of equity shares of Rs.10/- each and in any case not exceeding 5,00,00,000 (Five Crores) and aggregating to not more than Rs. 50,00,00,000 (Rupees Fifty Crores only) with an appropriate premium to Individuals / Companies / Fils / Financial Institutions / Banks / Qualified Institutional Buyers / Employees / Employees' Trust(s) or other investors, whether resident in India or not and whether or not they are shareholders of the Bank.

Consequent upon the completion of the aforesaid issue, the paid up capital of the Bank would stand increased to Rs.521.97 Crores and correspondingly the Central Government holding would further stand reduced to 66.47% of the post issue capital.

The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is in the process of obtaining the requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital by Rs.50 Crores at an appropriate premium.

As per the directives of SEBI, the new shares to be issued as per this proposal will rank pari passu in all respects with the existing shares of the Bank including dividend if any, declared by the Bank after the allotment of the equity shares arising out of the public issue.

The resolution set out under item no. 2 of the above Notice is intended to obtain the approval of the shareholders to the proposed issue of equity shares of the Bank.

None of the Directors of the bank is interested in the resolution, except to the extent of their shareholding in the bank.

he holy

Place: Manipal Date: 15-5-2004 (Michael Bastian)
Chairman and Managing Director